



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- रींगस
पटवार हल्का :- रींगस
भू.अभि.नि. :- रींगस
तहसील :- रींगस
जिला :- सीकर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2079 (वर्ष 2023) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 1781
खाता संख्या पुराना :- 583

काश्तकार का नाम:-

1. ARD REALTORS PRIVATE LIMITED हिस्सा- पूर्ण जाति- . 52/206 अपैक्स कॉलेज के पास मानसरोवर जयपुर खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
5695	0.0500	गै.मु.चाह	0.0300	0.00	स्वीकृत नामांतरकरण : 5151 19/06/2024	बेचान
		चाही बेरी 1	0.0200	0.44		
5696	0.6100	चाही बेरी 2	0.6100	9.79		
5710	0.0200	बारानी 3	0.0200	0.05		
कुल खसरे - 3	0.6800		0.6800	10.2800		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 16-Jul-2024





जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- रींगस
पटवार हल्का :- रींगस
भू.अभि.नि. :- रींगस
तहसील :- रींगस
जिला :- सीकर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2079 (वर्ष 2023) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 586
खाता संख्या पुराना :- 555

काश्तकार का नाम:-

1. ARD REALTORS PRIVATE LIMITED हिस्सा- पूर्ण जाति- (NA) 52/206 अपैक्स कॉलेज के पास मानसरोवर जयपुर खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित	टिप्पणी
6423/5702	0.0470	चाही बेरी 2	0.0470 0.75			स्वीकृत नामांतरकरण : 5151 19/06/2024बेचान
6425/5703	0.3860	बारानी 3	0.3860 0.95			स्वीकृत नामांतरकरण : 5170 15/07/2024विभाजन
कुल खसरे - 2	0.4330		0.4330 1.7000			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 16-Jul-2024





जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- रींगस
पटवार हल्का :- रींगस
भू.अभि.नि. :- रींगस
तहसील :- रींगस
जिला :- सीकर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2079 (वर्ष 2023) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 587
खाता संख्या पुराना :- 556

काश्तकार का नाम:-

1. ARD REALTORS PRIVATE LIMITED हिस्सा- पूर्ण जाति- (NA) 52/206 अपैक्स कॉलेज के पास मानसरोवर जयपुर खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित	टिप्पणी
					नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	
6419/5693	0.4030	चाही बेरी 2	0.4030	6.47	स्वीकृत नामांतरकरण : 5151 19/06/2024	बेचान
6421/5694	0.0840	चाही बेरी 2	0.0840	1.35	स्वीकृत नामांतरकरण : 5170 15/07/2024	विभाजन
कुल खसरे - 2	0.4870		0.4870	7.8200		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 16-Jul-2024



कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, रींगस जिला सीकर राजस्थान

प्ररूप-11
(नियम 7 (1) देखिए)

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय

वर्ष 2024

आवेदक खातेदार **ARD REALTORS PRIVATE LIMITED** निवासी 52/206
अपैक्स कॉलेज के पास, मानसरोवर, जयपुर

विषय :- राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि
भूमि का गैर-कृषिक आवासीय योजना प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

पत्रांक/नपारी ./2024-25/ 1651

दिनांक 30/09/24

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :-

- उपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय योजना प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :-

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
रींगस, जिला-सीकर	रींगस	5695, 5696, 6419/5693, 6421/5694, 6423/5702, 6425/5703	6423/5702 का रकबा 0.0470 है0, खसरा न. 6425/5703 का रकबा 0.3860 है., खसरा नम्बर 6419/5693 का रकबा 0.4030 है., खसरा न. 6421/5694 का रकबा 0.0840 है., खसरा न. 5695 का रकबा 0.0500 है., खसरा न. 5696 का रकबा 0.6100 है. कुल किता 06 कुल रकबा 1.5800 है0 अथवा कुल क्षेत्रफल 15800 वर्गमीटर भूमि

- आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेखा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है मैंने संबंधित तहसीदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क ओर राजस्थान अभिधृति


प्राधिकृत अधिकारी
एवं अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, रींगस

अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय योजना प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि खसरा न. 6423/5702 का रकबा 0.0470 है०, ख. न. 6425/5703 का रकबा 0.3860 है., खसरा नम्बर 6419/5693 का रकबा 0.4030 है., खसरा न. 6421/5694 का रकबा 0.0840 है., खसरा न. 5695 का रकबा 0.0500 है., खसरा न. 5696 का रकबा 0.6100 है. कुल किता 06 कुल रकबा 1.5800 है० अथवा कुल क्षेत्रफल 15800 वर्गमीटर भूमि की ग्राम रींगस तहसील रींगस में स्थित भूमि का आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय योजना प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आबंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है यथाविहित प्रीमियम, निर्धारित के साथ ही निनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आबंटन किये जाने के पश्चात् गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
6. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 30-9-24 को पारित किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी
नगरीय क्षेत्र न0पा0 रींगस
एवं अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, रींगस

पत्रांक/नपारी ./2024-25/ 1652-54 दिनांक 30/09/24
प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी -

1. सचिव/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, स्थानीय प्राधिकरण नगरपालिका रींगस
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील रींगस को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण कर और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. श्री खातेदार ARD REALTORS PRIVATE LIMITED निवासी 52/206 अपैक्स कॉलेज के पास, मानसरोवर, जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी
नगरीय क्षेत्र न0पा0 रींगस
एवं अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, रींगस

नामांतरकरण प्रपत्र (प-21)

ग्राम :रींगस	पटवार मण्डल :रींगस	भू.अ.नि.वृत्त:रींगस	तहसील:रींगस	जिला:सीकर
नामांतरकरण का प्रकार : सर्म्पण	प्रविष्टि का क्रम संख्या एवं दिनांक :5247 08/10/2024		संवत तथा ढाल बांछ की क्रम संख्या:2074-2077	
रजिस्ट्रीकरण/बंधक संख्या एवं दिनांक :			नामांतरकरण शुल्क :20 शास्ति : 0	

सही किये जाने के लिए प्रतिस्थापित वर्तमान जमाबंदी (खतौनी) में की प्रविष्टि						जमाबंदी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित नयी प्रविष्टि					
खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खाता संख्या	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
586	6423/5702	0.0470	चाही बेरी 2	0.75	1.) ARD REALTORS PRIVATE LIMITED	1525	1.) नगरपालिका रींगस	5695	0.0300	गै.मु.चाह	0.00
	6425/5703	0.3860	बारानी 3	0.95	हिस्सा- पूर्ण		हिस्सा- पूर्ण		0.0200	आवासीय प्रयोजनार्थ	
					जाति- (NA) 52/206 अपैक्स कॉलेज के पास मानसरोवर जयपुर खातेदार		संस्था के लिए	5696	0.6100	आवासीय प्रयोजनार्थ	
खाता : 586		कुल खसरे : 2	कुल क्षेत्रफल : 0.4330		कुल काश्तकार : 1			6419/5693	0.4030	आवासीय प्रयोजनार्थ	
587	6419/5693	0.4030	चाही बेरी 2	6.47	1.) ARD REALTORS PRIVATE LIMITED			6421/5694	0.0840	आवासीय प्रयोजनार्थ	
	6421/5694	0.0840	चाही बेरी 2	1.35	हिस्सा- पूर्ण			6423/5702	0.0470	आवासीय प्रयोजनार्थ	
					जाति- (NA) 52/206 अपैक्स कॉलेज के पास मानसरोवर जयपुर खातेदार			6425/5703	0.3860	आवासीय प्रयोजनार्थ	
खाता : 587		कुल खसरे : 2	कुल क्षेत्रफल : 0.4870		कुल काश्तकार : 1		--बदस्तूर खसरा--				
1781	5695	0.0300	गै.मु.चाह	0.00	1.) ARD REALTORS PRIVATE LIMITED	खाता : 1525	कुल काश्तकार : 1	कुल खसरे : 238		कुल क्षेत्रफल: 108.2793	
		0.0200	चाही बेरी 1	0.44	हिस्सा- पूर्ण						
	5696	0.6100	चाही बेरी 2	9.79	जाति- . 52/206 अपैक्स कॉलेज के पास मानसरोवर जयपुर खातेदार						
	5710	0.0200	बारानी 3	0.05							
खाता : 1781		कुल खसरे : 3	कुल क्षेत्रफल : 0.6800		कुल काश्तकार : 1						

खातों का विवरण:-

खाता : 586	कुल खसरे : 2	कुल क्षेत्रफल : 0.4330	कुल काश्तकार : 1	खाता : 1525	कुल काश्तकार : 1	कुल खसरे : 238	कुल क्षेत्रफल : 108.2793
खाता : 587	कुल खसरे : 2	कुल क्षेत्रफल : 0.4870	कुल काश्तकार : 1	खाता : 1781	कुल काश्तकार : 1	कुल खसरे : 1	कुल क्षेत्रफल : 0.0200
खाता : 1781	कुल खसरे : 3	कुल क्षेत्रफल : 0.6800	कुल काश्तकार : 1				

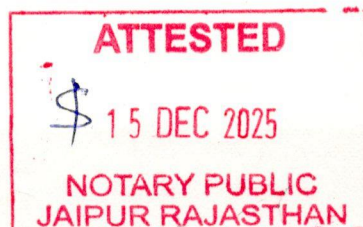


DECLARATION

Affidavit cum Declaration by Deepak Bansal, Director of ARD Realtors Private Limited Duly Authorized by Promoter - ARD Realtors Private Limited for the proposed project- "Shree Shyam Enclave".

I, Deepak Bansal, Authorized Signatory of ARD Realtors Private Limited having principal place of business – 152, IST Floor, Office No. 101, Savitri Vihar Mansarovar Extn., Mansarovar, Jaipur, Jaipur, Rajasthan, India, 302020, do hereby solemnly declare, undertake and state as under: -

1. That our project named "**Shree Shyam Enclave**" situated at Khasra No. 6419/5693, 5696, 5695, 6423/5702, 6425/5703, 6421/5694, Village-Reengus, Tehsil-Reengus, Sikar, (Rajasthan), is a new project.
2. That the 300 Sq. mtr. out of 500 Sq. Mtr. of area in Khasra No. 5695, Village-Reengus, Tehsil-Reengus, Sikar as per revenue is falling under "Gair Mumkin Chah" or uncultivable well.
3. That the 300 sq. mtr. area in in Khasra No. 5695, Village-Reengus, Tehsil-Reengus, Sikar, (Rajasthan) was supposed to be kept as open area or rain water harvesting. Accordingly, Promoter hereby kept Plot No. 27, 28 and 29 admeasuring 376.23 sq. mtr. not for sale.



Deepak
ARD REALTORS PRIVATE LIMITED
DIRECTOR



क्रमांक... 578 दिनांक 12/12/2021
पुद्राक का मूल्य 100
क्रेता का नाम ARD Reaction Pvt Ltd.
पेता का नाम
नेवासी 101 Savitri Vihar Mansarovar
शस्ते H/Land

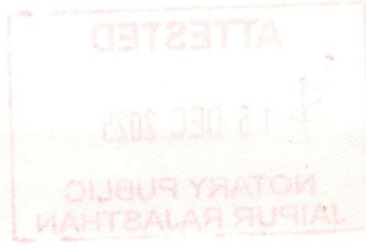
राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 प्रस्तावित
स्टाम्प राशि पर प्रभाविता अधिभार
(1) आधारभूत प्रत्यक्ष - वाणिज्यिक हेतु
(धारा 3 क, 10% 10)
(2) गाय और उमर - पत्राचार हेतु
(धारा 3 ख, 20% 20)
50 30

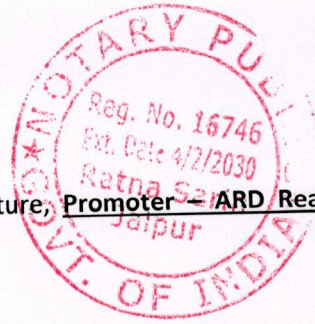
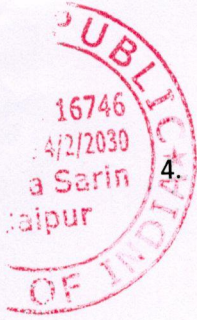
प्रस्तावित स्टाम्प देयक

क्रेता

Pratap

प्रभा दया
ले. स्टाम्प विक्रेता
ला.नं 113/2011-12
64/388, छीरा पथ
मानसरोवर जयपुर





4. That if any contradiction arises in the future, Promoter – ARD Realtors Private Limited will be responsible for the same.

Deepak

Deponent

For ARD REALTORS PRIVATE LIMITED

Verification

DIRECTOR

I, Deepak Bansal, Authorized Signatory of ARD Realtors Private Limited having principal place of business – 152, IST Floor, Office No. 101, Savitri Vihar Mansarovar Extn., Mansarovar, Jaipur, Jaipur, Rajasthan, India, 302020, do hereby verify that the contents in Para no. 1 to 3 of my above affidavits are true and correct and nothing material has been concealed by me there from.

Deepak

Deponent

For ARD REALTORS PRIVATE LIMITED

DIRECTOR

